



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15620

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी - 541 वर्ष 2026

श्रीमती सोनिया शर्मा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अभिजीत वर्मा, सत्यम सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना सहित यह रिट याचिका दायर की है:-

"(i) परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील- खैर, जिला- अलीगढ़ को आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 के तहत लंबित मामले संख्या आरएसटी/6835/2021, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या टी202118020106835 (सोनिया शर्मा बनाम शिवचरण) का निपटारा करें, जो उनके समक्ष लंबित है, और यह निस्तारण इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उत्तराधिकार के आधार पर संपत्ति परिवर्तन करने की शक्ति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33 से प्राप्त होती है और इसका प्रयोग धारा 35 में निर्धारित तरीके से किया जाना है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नियम 34 द्वारा भी इसका मार्गदर्शन किया जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जो इस प्रकार है:

नियम 34. उद्घोषणा जारी करना [धारा 35(1)]। (1) x x x x

(2) x x x x

(3) x x x x

(4) x x x x

(5) x x x x

(6) x x x x

(7) तहसीलदार यह प्रयास करेगा कि पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर बिना विवाद वाले उत्परिवर्तन मामले का निर्णय कर लिया जाए और विवादित उत्परिवर्तन मामले का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर कर लिया जाए और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

(8) x x x x"

4. उपर्युक्त नियम से स्पष्ट है कि विवादित म्यूटेशन मामले का भी निपटारा 90 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश इसका निपटारा 90 दिनों के भीतर नहीं हो पाता है, तो इसके कारण दर्ज किए जाने चाहिए। इस मामले की आदेशपत्र से पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, और पिछले डेढ़ वर्ष से मामला बिना सुनवाई के स्थगित किया जा रहा है।

5. अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यद्यपि उपरोक्त अवधि बीत चुकी है, परन्तु आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार सख्ती से शीघ्र और

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिमानत: दो महीने की अवधि के भीतर करें, लेकिन अनावश्यक स्थगन न दें जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

7. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्रतिवादी संख्या 2 को जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर भेज दें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

21 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"